पत्र संख्या-बजट-38-अनाच्छादित-2-मु0व्या0दु0बी0यो0(2025-26)// 630 //राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(बजट अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 22 दिसम्बर, 2025

//आदेश//

शासनादेश संख्या-क0नि0-4-1312/11-2018-400(94)/2000टी0सी0 दिनांक 28.12.2018 द्वारा राज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना को दिनांक 15.06.2018 से अग्रिम आदेशो तक विभाग द्वारा चलाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी ।

उक्त के कम में मुख्यालय के परिपत्र संख्या-714 दिनांक 27.01.2025 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित है कि प्रकरण की सूचना मृत्यु/दुर्घटना के दिनांक से छः माह के भीतर उपलब्ध हो जानी चाहिए यदि व्यापारी/ दावेदार द्वारा उक्त सूचना निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्रेषित की जाती है, तो विलम्ब का स्पष्ट कारण प्राप्त करते हुए खण्डाधिकारी, संयुक्त आयुक्त(कार्य0) के माध्यम से स्पष्ट संस्तुति सहित विलम्बमर्षण हेतु प्रकरण मुख्यालय प्रेषित करेगे ।

उक्त परिपत्र के कम में सूची में अंकित प्रकरण मुख्यालय को आनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए थेः-

क्र0 सं0	जोन का नाम	मृतक व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	मृत्यु का दिनांक	आनलाइन माध्यम से दावा दायर करने का दिनांक
1	इटावा	स्व0 श्री अरूण कुमार	सर्वश्री गिरनार टिम्बर टेडर्स, इटावा	22-04-2022	09-11-2025
2	गोरखपुर	स्व० श्री पुनीत जैन	सर्वश्री मुक्ताविभा इण्डस्ट्रीज एल0एल0पी0, गोरखपुर	22-04-2024	15-11-2025
3	गोरखपुर	स्व0 श्री हरेराम मिश्र	सर्वश्री किसान घर, देवरिया	03-06-2022	05-02-2025
4	झाँसी	स्व0 श्री शहजाद अहमद	सर्वश्री शादाब एण्ड ब्रदर्स, झाँसी	07-12-2024	13-11-2025
5	वाराणसी	स्व0 श्री जय प्रकाश यादव	सर्वश्री साई कन्सट्रक्शन कम्पनी, आजमगढ	15-07-2024	10-11-2025
6	इटावा	श्री राजेश सिंह	सर्वश्री ओम शटरिंग, फर्रूखाबाद	12.12.2024	14-11-2025

सूची में अंकित प्रकरणों में आयुक्त महोदय द्वारा विलम्बमर्षण प्रदान कर दिया गया है। तत्कम में अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण को समिति की संस्तुति के पश्चात् आन-लाइन माध्यम से समस्त प्रपत्रों एवं समिति की रिपोर्ट को अपलोड कराते हुए तत्काल मुख्यालय प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरणों का निस्तारण किया जा सके ।

उक्त आदेश आयुक्त महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

(अशोक कुमार सिंह)
अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्तः-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर, इटावा, गोरखपुर, झाँसी एवं वाराणसी को सूचनार्थ।
2. संयुक्त आयुक्त (कार्य), राज्य कर, इटावा, गोरखपुर-ए/बी, झाँसी एवं आजमगढ़ को सूचनार्थ।
3. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

to jc.doc